न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या–57/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1 जुसुब पुत्र दाउद खां निवासी भोपालगढ जिला जोधपुर (ड्राईवर व सैल्समेन) 2 ज्ञानप्रकाश पांगा व दिनेश जाखड फर्म मालिक मै. श्री भूरिया बाबा फ्यूलस ऑफिस नम्बर 203, गंग टावर अरोडा होण्डा सर्विस बोम्बे मोटर्स जोधपुर। 3 मुनाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी धारनावास तहसील खींवसर वाहन मालिक आर.जे. 21 जीबी 9168

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसुख फिडोदा।

निर्णय

दिनांक –30.12.2024

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 49 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.बी. 9168 को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री प्रेमसुख फिडोदा, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 27.12.2024 को अपना जवाब पेश किया।

1. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 19.12.2024 को निरीक्षण कार्य के दौरान ग्यान तालाब एनएच–58 नागौर अजमेर रोड पर एक पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जीबी. 9168 खडा पाया गया जिसके पीछे एक टैंक बना हुआ है तथा पेट्रोलियम पदार्थ विक्रय किया जा रहा है जिस पर डॉ. निकिता राठौड जिला रसद अधिकारी नागौर, हमराह श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षक एवं डॉ रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर पहुंचे। मौके पर वाहन का निरीक्षण करने पर वाहन पर 1700 लीटर क्षमता का एक टैंक बना हुआ पाया गया जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारित पाया गया। ऑयल टैंक के पीछे एक मिनी डिस्पेसिंग यूनिट लगा हुआ पाया गया, जिसमें एक इलेक्ट्रोनिक मीटर लगा हुआ है व एक नोजल है जिससे टैंक में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ को विक्रय हेतु बाहर निकालकर वाहनों में भरा जाता है। वाहन चालक व सेल्समेन श्री जुसुब पुत्र श्री दाउद खां से पूछताछ कर पेट्रोलियम पदार्थ के विक्रय से संबंधित अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर इनके पास इस संबंध में कोई दस्तावेज नहीं पाये गये जिस पर वाहन को डिटैन कर पुलिस थाना मुण्डवा लाया जाकर वाहन में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ को एल्युमिनियम की एक स्वच्छ बाल्टी में भरकर डेनसीटी ली गई जो 20सी तापमान पर 821.5 पाई गई, जिससे वाहन में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ मिश्रित पाये जाने पर नमूनों हेतु एल्युमिनियम के नमूनों हेतु प्रयुक्त होने वाले तीन पात्रों को इसी पेट्रोलियम पदार्थ से साफ कर प्रत्येक पात्र में 1000 एम.एल. पेट्रोलियम पदार्थ भरा जाकर आवश्यक सूचना यथा श्रोत, वाहन संख्या दिनांक इत्यादि अंकित कर चस्पा की गई व तीनों नमूनों को मार्का ए–1, ए–2, व ए–3 दिया गया। नमूनों क्रमांक ए–1 को प्लास्टिक सील संख्या 191375 से नमूना क्रमांक ए–2 को 191660 व नमूना क्रमांक ए–3 को 191335 से सील्ड किया गया। नमूना क्रमांक ए–2 को 191660 व नमूना क्रमांकए–3 को 191335

30/12/24
अपर कलक्टर, नागौर

से सील्ड किया गया। नमूना क्रमांक ए–1 को वास्ते एफएसएल जांच व नमूना क्रमांक ए–3 को कार्यालय से सुरक्षित रखने हेतु साथ में लिये गये। नमूना क्रमांक ए–2 को श्री जुसुब को सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। वाहन संख्या आर.जे. 21 जीबी 9168 के चालक व सैल्समेन श्री जुसुब पुत्र दाउद खां से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किये गये। अपने बयानों में श्री जुसुब ने बताया कि वह फर्म मैसर्स भूरिया बाबा बायों फ्यूल रिटेल आउटलेट के नाम से इस वाहन में बायों डीजल का विक्रय 73 रूपये लीटर की दर से करता है। वह तीन महीने से यह कार्य कर रहा है। वह इस वाहन के ज्ञान तालाब एनएच–58 नागौर, अजमेर रोड होटल पर हमेशा खडा करता है और बायो डीजल अन्य वाहन जो हाईवे से गुजरते है उनको 73 रूपये प्रति लीटर की दर से विक्रय करता है। मौके पर डेनसिटी लेने पर यह मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ प्रतीत होने पर श्री जुसुब से मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन व विक्रय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र मांगे जाने पर इनके द्वारा तत्समय कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर व दिनांक 20.12.2024 तक फर्म के प्रोपराईटर (मैसर्स श्री भूरिया बाबा फ्यूल रिटेल आउटलेट) श्री ज्ञान प्रकाश पांगा व श्री दिनेश जाखड द्वारा प्रस्तुत कर दिये जाने का निवेदन मौखिक रूप से किये जाने पर फर्द मौका/सुपुर्दगीनामा दिनांक 19.12.2024 में उक्त वाहन में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ का मापन करने पर वाहन में कुल 49.00 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया, जिसको वाहन में एक ड्रम में खाली करवाया गया व मापन पश्चात टैंक में वापस भरा जाकर टैंक के उपरी ढक्कन प्लास्टिक सील संख्या 191633 से सील्ड किया गया व पीछे के ढक्कन को प्लास्टिक सील संख्या 191680 से सील्ड कर वाहन पिकअप संख्या आर.जे. 21 जी.बी. 9168 को तथा वाहन में भण्डारित मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ को डिटैन किया जाकर प्रभारी मालखाना पुलिस थाना मूण्डवा को सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। परन्तु दिनांक 23.12.2024 तक फर्म मैसर्स भूरिया बाबा फ्यूल रिटेल आउटलेट के प्रोपराईटर श्री ज्ञानप्रकाश पांगा, श्री दिनेश जाखड व वाहन चालक व सैल्समैन श्री जुसुब एवं वाहन मालिक श्री मुनाराम द्वारा उक्त डिटैनशुदा वाहन में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन व विक्रय के संबंध में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त वाहन संख्या आर.जे. 21 जी.बी. 9168 मय 49 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को जब्त सरकार किया जाकर पुनः प्रभारी मालखाना पुलिस थाना मुण्डवा को प्रकरण का निर्णय होने तक सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

इस प्रकार श्री ज्ञानप्रकाश, श्री दिनेश जाखड, श्री जुसुब एवं श्री मुनाराम का यह कृत्य Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply) Distribution and Prevention of Mal-practices) Oder 2005 का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर जब्तसुदा 49 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय वाहन संख्या आर. जे. 9168 को धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण में वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप नम्बर आर.जे. 21/जी.बी. 9168 को जब्त की गयी है जिसका रजिस्टर्ड मालिक मुनाराम है मुझ प्रार्थी विरेन्द्र उसका आम मुख्त्यार हूं अन्य कोई उक्त वाहन का मालिक दावेदार नहीं है। उक्त वाहन अप्रार्थी की अभिरक्षा में पुलिस थाना मुण्डवा के परिसर में खुले पडा है बरसात का मौसम है खराब हाने की पूरी संभावना है तथा वाहन की प्रार्थी को सख्त आवश्यकता है। उक्त वाहन की प्रकरण हाजा में कोई आवश्यकता नहीं है, वाहन को गलत तौर से जब्त किया गया है जबकि प्रकरण ई.सी.एक्ट के अन्तर्गत बनता ही नहीं है।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। डॉ. निकिता राठौड जिला रसद अधिकारी नागौर हमराह श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक, श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षक एवं डॉ रामनिवास बेरवाल प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर ग्यान तालाब एनएच–58 नागौर अजमेर रोड पर एक पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जीबी. 9168 खडा पाया गया, जिसके पीछे एक टेंक बना हुआ पाया गया तथा पेट्रोलियम पदार्थ विक्रय किया जा रहा था। मौके पर अप्रार्थी श्री जुसुब पुत्र श्री दाउद खां से पूछताछ करने पर उसके पास पेट्रोलियम पदार्थ के विक्रय से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply] Distribution and Prevention of Mal-practices) Oder 2005 का स्पष्ट उल्लघंन है जो दण्डनीय अपराध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा 49 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 21 जीबी 9168 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

30/12/24

अपर कलक्टर, नागौर

प्रकरण में जब्तसुदा 49 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व पिकअप वाहन संख्या 21 जीबी 9168 का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा वाहन का समपहरण (Confiscate) करने के विकल्प मे अप्रार्थी संख्या 03 मुनाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी धारनावास तहसील खींवसर पर रूपये 5,000/- अक्षरे पांच हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है, अप्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय की दिनांक से 30 दिवस के भीतर उक्त जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर उक्त जब्तसुदा पिकअप वाहन को मुक्त करने के आदेश दिया जाता है, अप्रार्थीगण द्वारा 30 दिवस में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर वाहन को नीलाम कर, नीलामी से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। उक्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

4. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/1/...

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
अपर कलक्टर, नागौर